**न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.**

**पीठासीन अधिकारी** : **श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0**
**राजस्व प्रा0 पत्र सं0** : 196/2019 (116/2016)
**GCMS NO.** : **2016/00058**

**–:: वादी ::–** | **बनाम** | **–:: प्रतिवादीगण ::–**

1. गोदाराम पुत्र गणेशराम ग्राम भैसाणा, तहसील सोजत सिटी जिला पाली हाल निवास बलाडा तहसील जैतारण जिला पाली।

बनाम

1. मनमोहन पुत्र बाबुलाल
2. सूर्यप्रकाश पुत्र बाबुलाल
3. दयानन्द पुत्र शंकरलाल
4. चेतन पुत्र शंकरलाल जातियान मेघवाल निवासीगण बलाडा तहसील जैतारण जिला पाली।
5. श्यामलाल पुत्र शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी घोडावड तहसील जैतारण जिला पाली।
6. राकेश पुत्र खीयाराम जाति मेघवाल निवासी निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली।
7. विनोद पुत्र गंगाधर जाति ढोली निवासी निमाज तहसील जैतारण जिला पाली।
8. तहसीलदार जैतारण जिला पाली।

**राजस्व वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

**तारीख रजूः 24/09/2019**

**उपस्थितः–**
1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी।
2. तहसीलदार, जैतारण।

**–:: निर्णय ::–** **दिनॉकः– 30/09/2022**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बलाड़ा पटवार हल्का बलाड़ा तहसील जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1164 रकबा 5.17 बीघा किस्म बारानी दोयम आयी हुई है। उक्त कृषि भूमि में वादी अपने [illegible] व हिस्से की भूमि पर काबिज खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से [illegible] तक का शेष हिस्से की भूमि पर हिस्सा व हक अधिकार है। नकल चालू जमाबन्दी संवत 2069 [illegible] 072 की पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 20:07:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

है। विवादित भूमि में वादी से पूर्ववर्ती खातेदारो के हक हिस्सा व खातेदारी अधिकार थे। इन सभी खातेदारो ने अपने हिस्से की भूमि अपनी जायज जरूरत हेतु वादी को बैचान कर दिया था, प्रतिफल की राशी भी प्राप्त कर ली थी एवं भूमि का मौके पर कब्जा भी वादी को सुपुर्द कर दिया था। वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की मौके पर आपसी सहमती से वर्षों पूर्व से यानि पूर्ववर्ती खातेदारों के समय से ही अलग-अलग भागों में माफिक कब्जा अनुसार बंटी हुई थी व इसी माफिक वादी ने वक्त खरीद के कब्जा भी प्राप्त कर लिया था परन्तु इस वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में अभी तक बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के बंटवाड़ा होकर इन्द्राज नहीं हुआ है। वादी ने मौके पर इस भूमि के विक्रेताओ से जमीन खरीद की थी। उसके पहले से ही पूर्ववर्ती खातेदारों के समय से ही उक्त विवादित भूमि अलग-अलग बंटी हुई थी तब वादी ने मौके पर विक्रेताओं के कब्जेनुसार ही प्रतिफल की राशी देकर के जमीन खरीद की थी व मौके पर कब्जा प्राप्त किया था। वादी व प्रतिवादीगण की मौके पर कब्जे स्थिति अनुसार नजरी नक्शा बनाकर इस वाद के साथ पेश किया जा रहा है। वादपत्र के पद संख्या एक में दर्ज विवादित भूमि राजस्व रेकर्ड में सामलाती खातेदारान के दर्ज है जिसका कानूनी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा किया जाना आवश्यक है। वादी मौके पर अपने हक व हिस्से की भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ काम मे लेना चा रहा है लेकिन उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण के बीच राजस्व रेकर्ड में संयुक्त व सामलाती दर्ज होने की वजह से वादी को अपनी भूमि की किस्म बदलवाने में भारी परेशानी हो रही है। वादी ने प्रतिवादीगण से भी आराजी का बंटवाड़ा कराने हेतु कई बार निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण मौके पर कब्जा व मौका स्थिति अनुसार बंटवाड़ा कराने से टालमटोल कर रहे है तथा दिनांक 02/04/2016 को प्रतिवादीगण ने इस आराजी का बंटवाड़ा कराने से भी स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया जबकी वादी अपने हक व हिस्से की आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा कराने का कानूनी रूप से अधिकारी है इस अवस्था में वादी के पास यह वाद पत्र बाबत् बंटवाडा का पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत् बंटवाड़ा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। विवादित भूमि वादी व प्रतिवादीगण की केवल राजस्व रेकर्ड में संयुक्त व सामलाती है लेकिन मौके पर बंटवाड़ा हो रखा है एवं मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा वादपत्र के साथ पेश किया जा रहा है। प्रतिवादीगण झगडालू प्रवृति के है जो वादी के हिस्से व कब्जे पर नापचौप को लेकर विवाद कर रहे है एवं इसी नियत से वादी के कब्जे की भूमि पर जबरदस्ती बाधा व अडचन पैदा कर रहे है एवं वादी द्वारा समझाने पर भी नहीं मान रहे है। ऐसी परस्थितियो मे यदी प्रतिवादीगण ने जबरदस्ती लाठी लकडियो के बल पर वादी को बेदखल कर वादी की कब्जे व हिस्से की भूमि पर कब्जा कर लिया तो वादी अपनी खरीदसुदा, कब्जासुदा व हकसुदा भूमि का उपयोग-उपभोग करने से हमेशा-हमेशा के लिए वंचित हो जायेगे तथा वादी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार संभव नही हो सकेगी। यह वादपत्र बाबत बंटवाड़ा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादीगण संख्या आठ

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 20:07:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

तहसीलदार जी जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है इसलिए अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। बिनाय वाद दिनांक 02/04/2016 को वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा करने से स्पष्ट इन्कार करने पर व सामलाती भूमि पर खेत के चारो तरफ लगी खन्दक व तारबन्दी को तोडफोड करने जबरदस्ती कब्जा करने से मना करने पर नहीं माने तब बमुकाम बलाड़ा तहसील जैतारण में पैदा हुआ जो अन्दर म्याद व श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाअधिकार में है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन, सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। बहस वकील वादी की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र, शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात, साक्ष्य शपथ–पत्र इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया जमाबन्दी सरहद मौजा बलाड़ा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1164 रकबा 5–17 बीघा किस्म बारानी दोयम सम्वत् 2069–2072 (प्रदर्श–1), नजरी नक्शा (प्रदर्श–2) आदि का अवलोकन किया गया। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, जिसमें माफिक प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा बलाड़ा पटवार हल्का बलाड़ा तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 1164 रकबा 5–17 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा माफिक खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2021/411 दिनांक 16.11.2021 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने पत्र क्रमांक/भू0अ0/22/5518 दिनांक 30.08.2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

अंतिम बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक प्राथमिक डिक्री मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादी एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया गया। तहसीलदार, जैतारण के विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में सरहद मौजा बलाडा की अद्यतन जमाबन्दी संवत् 2073–2077 खसरा नम्बर 1164 रकबा 0.9470 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ही अभिलिखित खातेदार दर्ज है। अद्यतन भू–अभिलेख के अनुसार तैयार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुरूप वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 20:07:32 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा बलाड़ा पटवार

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

हल्का बलाड़ा तहसील जैतारण में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1164 रकबा 0.9470 हैक्टेयर (5-17 बीघा) किस्म बारानी दोयम भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

| क्र. सं. | नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत | खसरा नम्बर | रकबा हैक्टेयर | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | चेतन पुत्र शंकरलाल 1/2 दयानन्द पुत्र शंकरलाल 1/2 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार | 1164 | 0.6313 | बा.दो. | 0.19 |
| 2 | गोदाराम पुत्र गणेशराम जाति मेघवाल सा. मेसाणा तहसील-सोजत सिटी खातेदार | 1164/1 | 0.3157 | बा.दो. | 0.10 |

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा/भण्डार जमा हो।

न्यायालय कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज.

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-पाली (राज0)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

निर्णय आज दिनॉक 30/09/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-पाली (राज0)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 20:07:22 IST
Reason: SelfAttested

## डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत** :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः- जैतारण

**बईजलास** :- श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

-:: वादी ::- बनाम -:: प्रतिवादीगण ::-

**वादी**

1. गोदाराम पुत्र गणेशराम ग्राम भैसाणा, तहसील सोजत सिटी जिला पाली हाल निवास बलाडा तहसील जैतारण जिला पाली।

**बनाम**

**प्रतिवादीगण**

1. मनमोहन पुत्र बाबुलाल
2. सूर्यप्रकाश पुत्र बाबुलाल
3. दयानन्द पुत्र शंकरलाल
4. चेतन पुत्र शंकरलाल जातियान मेघवाल निवासीगण बलाडा तहसील जैतारण जिला पाली।
5. श्यामलाल पुत्र शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी घोडावड तहसील जैतारण जिला पाली।
6. राकेश पुत्र खीयाराम जाति मेघवाल निवासी निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली।
7. विनोद पुत्र गंगाधर जाति ढोली निवासी निमाज तहसील जैतारण जिला पाली।
8. तहसीलदार जैतारण जिला पाली।

मु0न0 :रा0वा0 स0: 196/2019 (116/2016)

**राजस्व वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ..........-........ व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा बलाड़ा पटवार हल्का बलाड़ा तहसील जैतारण में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1164 रकबा 0.9470 हैक्टेयर (5-17 बीघा) किस्म बारानी दोयम भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

| क्र. सं. | नाम खातेदारान मय [illegible] | खसरा नम्बर | रकबा हैक्टेयर | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | चेतन पुत्र शंकरलाल [illegible] शंकरलाल 1/2 जाति [illegible] सा. दे[illegible] खातेदार | 1164 | 0.6313 | बा.दो. | 0.19 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 20:07:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | गोदाराम पुत्र गणेशराम जाति मेघवाल सा. मेसाणा तहसील–सोजत सिटी खातेदार | 1164/1 | 0.3157 | बा.दो. | 0.10 |

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा/भण्डार जमा हो।

नीज.....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.... ..को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 30/09/2022 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
जिला–ब्यावर (राज.)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

| मुद्दई | रुपये पैसे | मुद्धायलाह | रुपये पैसे |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 3.00 | स्टाम्प वकालतनामा | 0.00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 1.00 | स्टाम्प अर्जी | 0.00 |
| स्टाम्प वजह सबूत | 1.00 | महनताना वकील | 0.00 |
| महनताना वकील | 0.00 | खर्चा गवाहान | 0.00 |
| खर्चा गवाहान | 17.00 | फीस कमीश्नर | 0.00 |
| फीस कमीश्नर | 0.00 | बाबत ईजराय हुक्मनामा | 0.00 |
| बाबत ईजराय हुक्मनामा | 0.00 | मुत्फरिक | 0.00 |
| मिजानः– | 22.00 | मिजानः– | 0.00 |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 20:07:22 IST
Reason: SelfAttested